



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27500

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1829 वर्ष 2026

विष्णु प्रसाद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार अर राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका में एकमात्र प्रार्थना प्रत्यर्थी संख्या 2, पुलिस महानिरीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस(आईजी-जीआरपी), लखनऊ को प्रत्यर्थी संख्या 3, पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक), रेलवे, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2025 के विरुद्ध दिनांक 24.11.2024 की पुनरीक्षण याचिका तय करने का निर्देश देने के लिए है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, पुलिस महानिरीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस (आईजी-जीआरपी), लखनऊ आज से दो महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 3, पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक), रेलवे, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2025 के विरुद्ध दिनांक 24.11.2024 की पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुनरीक्षण याचिका में उठाए गए सभी तर्कों पर विचार किया जाएगा।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"